प्रतिवेदन/औचित्य एवं आवश्यकता

परियोजना का नाम :– **जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत में सौनी– देवलीखेत– ड्योड़खाल– सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि.मी. 10 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (वास्त. लम्बाई 7.85 कि.मी.) (2.205 है0)**

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश सं. 4089/III(2)/15–23(प्रा.आ.)/2013 दिनांक 16.05.2015 के द्वारा 9.00 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 52.65 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण से ग्राम पस्तौड़ापार, पस्तौड़ावार, रैली ब्याली तथा टाना इत्यादि के ग्रामीणो को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस मार्ग के बनने से स्थानीय कास्तकारों द्वारा अपने खेतों में उगाई फसल, फल, सब्जी आदि को बाजार में विपणन हेतु सुविधा होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ–साथ पयर्टन को भी बढावा मिलेगा।

इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण पर मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 7.85 कि.मी. है। प्रस्तावित समरेखंण में 0.495 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.1025 है0 वन पंचायत भूमि तथा 0.6075 है0 सिविल बेनाप सहित कुल 2.205 है0 वन भूमि प्रभावित होती है। इस हेतु कुल 2.205 है0 वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत